न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 35/2025

1. निखिल स्वामी पुत्र महावीर स्वामी जाति स्वामी निवास जसरासर तहसील नोखा हाल निवासी डी–321 मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र हीराराम जाति साद (स्वामी) निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. मांगीलाल पुत्र हीराराम जाति साद (स्वामी) निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
3. द्रौपदी पुत्री हीराराम जाति साद (स्वामी) निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
4. सरपंच ग्राम पंचायत गुल्लूवाली तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
आदेश दिनांक :– 08.01.26

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री भीमसिंह डुकिया अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी का हीराराम को पुख्ता आवंटित थी हीराराम व अपीलांट के दादा मोहनलाल पॉच भाई व एक बहिन है मेरे पिता महावीर प्रसाद के चाचा उदयराम कार्ट बीकानेर में अरजिनिवेश का कार्य करता था जब मेरे दादा पॉच भाई अलग अलग हुए तो सम्पति का बंटवारा कर दिया। जब सम्पति का बंटवारा कार्ट परिसर बीकानेर अरजिनिवेश द्वारा लिखा गया तब उदयराम ने कुछ सादे कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 अपने पिता के जीवनकाल में ही अलग हो गये थे। हीराराम पारिवारीक परिस्थतियों के कारण अपीलांट के दादा मोहनलाल के पास रहते थे अपीलांट की सेवा चाकरी की भावना से प्रसन्न होकर हीराराम ने अपने जीवन काल में अपनी अन्तिम वसीयत दिंनाक 30/05/2005 को तहसील खाजूवाला की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी अपीलांट के नाम बरूबरू गवाहन नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कर पंजीबद्व करवाया। हीराराम की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 स्वयं अर्जित सम्पति है, हीराराम का देहान्त दिंनाक 09/02/2006 हो चुका है। हीराराम के जीवनकाल तक तथा उनका देहान्त होने के बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 उक्त वसीयत भली भांती परिचित थे। हीराराम के देहान्त के बाद उदयराम के दोनो पुत्र ओम प्रकाश, विजय कुमार ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समक्ष एक वसीयत दिनांक 19/11/1990 की बताकर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रकरण दिनांक 28/06/2006 को दर्ज करवाया जिसका समाचार में प्रकाशन होने पर अपीलांट ने अपनी अन्तिम वसीयत दिंनाक 30/05/2005 पर प्रार्थना पत्र पेश किया प्रकरण जैरकार था। तब ओम प्रकाश, विजय कुमार ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28/02/2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समक्ष पेश किया कि उक्त प्रकरण की कृषि भूमी के सम्बन्ध में न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर में उतराधिकार अधिनियम का प्रकरण जैरकार लम्बित है उक्त प्रकरण को जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर द्वारा पारित निर्णय तक लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन अंतिम व सर्व मान्य होगा तब तक वसीयत प्रकरण की कार्यवाही रोक दी जावे। इसी प्रकरण जैरकार के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी व लालच आ गया तो उन्होने हीराराम का मृत्यू का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने दिनांक 31/08/2012 को हीराराम के वारिसान की पुष्टि हेतु जसरासर भेजा वारिसान की बाद पुश्टि कार्यालय तहसीलदार से दिनांक 06/09/2012 को हल्का पटवारी के पास गया तब अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के समक्ष

राजस्व रेकार्ड में वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 जैरकार होने वारिसान नामान्तरण रोकने का प्रार्थना पत्र दिनांक 07/09/2012 प्रस्तुत किया जिस पर कार्यालय तहसीलदार द्वारा क्रम संख्या 12/168 दिनांक 07/09/2012 पर दर्ज रजिर्स्टड कर हल्का पटवारी को भेज दिया हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 जैरकार होने का अंकन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने प्रार्थना पत्र व हल्का पटवारी रिपोर्ट को सामील मिसल कर दिया गया। बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने चारी छिपे अति गोपनीय ढंग से फिर से दिनांक 10/10/2024 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश प्रार्थना पत्र के साथ फर्जी कुटरचित हीराराम की मृत्यू दिनांक 30/01/2005 का बनाकर प्रस्तुत किया जिस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने हीराराम के वारिसान की पुश्टि करवाकर इन्तकाल संख्या 205 दिनांक 24/12/2024 को की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वारिसान रेस्पोडेन्टान सं. 1 ता 3 के नाम से ग्राम पंचायत गुल्लूवाली तहसील खाजूवाला में स्वीकृत करवा लिया गया जिसमे अपीलांट के पक्ष में वसीयत की चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि सम्मिलित है। इन्तकाल प्रविष्टि संख्या 205 दिनांक 24/12/2024 खिलाफ कानून, सहेदाद मिसल, प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध तथा एक पक्षीय होने के कारण काबिले निरस्ती के है। लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिर्कोडस) नियम 1957 के नियम 121 (4) ने स्पष्ट प्रावधान है कि इन्तकाल की कार्यवाही के समय सम्बधिंत पक्षकार को सुनवाई का एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा अन्यथा भी यह विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित नहीं किया जावेगा। न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश कर दिया गया। लेकिन आदेश दिनांक 18/09/2014 की ग्राम पंचायत गुल्लूवाली द्वारा कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट अनदेखी करके अपीलांट की गैरहाजरी में एवं अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है, जो काबिले निरस्त के है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावघानो के अन्तर्गत केवल माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित न्यायदृष्टान्त के मध्यनजर इन्तकाल दर्ज करने के पूर्व कब्जा कास्त के सम्बन्ध में जांच करना अति आवश्यक है। लेकिन अपिलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका पर कब्जा कास्त के सम्बन्ध में कोई भी जॉच नही की गई। हीराराम ने अपने जीवन काल में ही स्वेच्छा से उक्त कृषि भूमि का कब्जा वसीयत अनुसार अपीलांट को सौंप दिया था। जिसका वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में हल्का पटवारी की रिर्पोट में अपीलांट कब्जा का अंकन था जमाबन्दी सम्वत 2067– 2070 में अपीलांट कब्जा का अंकन था इस कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा कास्त अपीलांट का चला आ रहा है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टान सं. 1 ता 3 को वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दायर पेश प्रार्थना पत्र व उस पर न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/09/2014 से थी इन तथ्यो की जांच किये बिना ही अपिलाधीन आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत गुल्लूवाली द्वारा भारी भूल की गई हैं। अत आदेश दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के हैं। अपीलांट के अपील में वर्णित संक्षेप्त तथ्यो में अपनी वसीयत प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य दर्ज किये हैं। तथ्यों कि पुनरावृति से बचने के लिए उन दर्ज तथ्यो को इस मद में पढे जाने का निवेदन हैं। हीराराम ने अन्तिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिंनाक 30/05/2005 को नोटेरी से तस्दीक करवाया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 पिता के जीवनकाल में ही अलग हो गये थे। हीराराम पारिवारीक परिस्थतियों के कारण अपीलांट के दादा मोहनलाल के पास रहते थे अपीलांट की सेवा चाकरी की भावना से प्रसन्न होकर हीराराम ने अपने जीवन काल में अपनी अन्तिम वसीयत निखिल स्वामी के पक्ष में वसीयत की हीराराम मेरे मरने के बाद कृर्षि भूमि के निखिल स्वामी मालिक होगे। इस प्रकार हीराराम की मृत्यु के रोज से ही उक्त

कृर्षि भूमि के वसीयत दिनांक 30/05/2005 के आधार पर तमाम अधिकार व हित हम अपीलांट में निहित हो चुके थे। इसलिए वसीयत के आधार उक्त कृर्षि भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाने का केवल मात्र अपीलांट ही अधिकारी हैं। जिसका वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 जैरकार था वसियत प्रकरण में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 की पत्रावली मूर्तीब नही की गई है बल्कि नामान्तरणकरण रजिस्टर प्रतिपरत के कॉलम में महज हल्का पटवारी ने पुख्ता आवंटी हीराराम के फौत होने का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र व वारिस प्रमाण पत्र बाबत रिर्पोट की है, जो हल्का पटवारी द्वारा की गई है तथा हल्का पटवारी ने कॉलम में जायज वारिसान के प्रमाण पत्र पर दर्ज कर राजस्व अधिकारी की जॉच निर्णय दिनांक 18/12/2024 स्वीकृती कर दी गई। और दिनांक 24/12/2024 को ग्राम पंचायत गुल्लुवाली द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। इस तमाम कार्यवाही से स्पष्ट है वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 के निर्णय के आदेश का खुला उल्लघन कर विधि के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करके अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/12/2024 काबिले निरस्ती के है। नामान्तरणकरण रजिस्टर की प्रति परत के कालॅम में हल्का पटवारी द्वारा इस आशय की रिर्पोट की गई है कि श्रीमानजी मुताबिक जायज वारिसान के अनुसार एवं मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर व कॉलम में जायज वारिस के आधार पर जायज वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज कर वास्ते जॉच एंव आदेशार्थ स्वीकृती प्रस्तुत है। हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करते समय तहसील कार्यालय द्वारा कमांक 12/168 दिनांक 07/09/2012 के राजस्व रेकॉर्ड में वसीयत प्रकरण जैरकार अंकन करने के नोट की व पूर्व राजस्व रेकॉर्ड में अंकन वसीयत प्रकरण कब्जा के नोट की ना जॉच की और ना ही पूर्व राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अंकन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के वारिस नामान्तरण पर रोक की जॉच की यहॉ गौरतलब तथ्य यह कि जब हल्का पटवारी नामान्तरण करण दर्ज ही कर दिया तब उसके उपरान्त स्वीकृत के पेश हेतू निवेदन करने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है जिस पर भी हल्का पटवारी द्वारा वास्ते स्वीकृती के पेश है निवेदन किये जाने के उपरान्त बिना कोई उचित कार्यवाही किये ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में बड़ी कानूनी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के है। हीराराम की मृत्यु के रोज से अपीलान्ट का वसीयत से चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए अपीलान्ट अपनी उपरोक्त आरजी को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने के अधिकारी है तथा न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसियत प्रकरण संख्या 19/2006 में दिनांक 18/09/2014 को चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी पर वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश कर दिया गया। न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय के बाद की न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला की वसीयत आदेश की अनुपालना में अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/12/2024 काबिल निरस्ती के है। अपीलान्ट को वसीयत में प्राप्त भूमी पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 ने बिना किसी प्रकार की पूर्व आदेशित वसीयत प्रकरण की जॉच किये इन्तकाल सं. 205 रेस्पोडेन्टान 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। जो निरस्त करके अपीलान्ट मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी हीराराम के नाम से उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अपीलांट के पास तहसील कार्यालय खाजूवाला के वसीयत प्रकरण की नकल थी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 मौके पर आये कहॉ कि कि उक्त कृर्षि भूमि पर हमारा हिस्सा है तब अपीलांट ने कहॉ कि उक्त भूमि की वसीयत हमारे नाम से हें। जिसका वसीयत प्रकरण पर न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 18/09/2014 से वसीयत व हीराराम के वारिसो द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश कर दिया गया। आपका कोई हक नही बनता है। तो अपीलांट ने वसीयत प्रकरण नकल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 को दिखाई जिसमें वसीयत प्रकरण में वारिसान नामान्तरण पर रोक लगी थी रेस्पोडेन्टान

संख्या 1 ता 3 चले गये अपीलांट को न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला के आदेश विश्वास था इसलिए हल्का पटवारी से नही मिला रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 दिनांक 10/03/2025 को फिर आये धमकी दी कहा कि उक्त जमीन हमारे नाम से रिकार्ड में दर्ज है तो अपीलांट तहसील कार्यालय हल्का पटवारी में दिनांक 10/03/2025 को पता करने गये तो पता चला कि उक्त भूमी रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 3 के नाम से रिकार्ड में अमलदरामद की जा चुकी है। तो अपीलांट ने दिनांक 10/03/2025 को नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो बाद तैयारी दिनांक 11/03/2025 को वापिस प्राप्त हुई, नकल वाद प्राप्ति वकील साहब से सलाह मशविरा किया व पैसों का प्रबन्ध कर अपने वकील से अपील करने के लिए कहा। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वो उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी ना होने के कारण हुई है। अपील इल्म से अन्दर मियाद पेश है। अपीलांटान पूर्ण कोर्ट फीस पर एवं सुनवाई का क्षैत्राधिकार अदालतवाला को प्राप्त है एवं श्रवणाधिकार भी अदालतवाला को प्राप्त है। अपील अपीलांटान इल्म के रोज से अन्दर मियाद पेश है, जिस बाबत अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश है। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्काल प्रविष्टी 205 दिनांक 24/12/2024 को निरस्त फरमाया जाकर चक 24 के.जे.डी का मुंनं. 224/12 की किला नं. 1 ता 14 व 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमी हीराराम के नाम से दर्ज करने के आदेश करे बाद वसीयत प्रकरण संख्या 19/2006 निर्णय इन्तकाल अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भिजवाने पर रेस्पो0 सं0 2, 4 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 1, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह हाजिर आकर फॉर्म सं0 3 के साथ जमाबंदी व न्यायालय जिला न्यायधीश बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.05.25 की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेंट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसीयत प्रकरण सं0 19/2006 में दिनांक 18.09.2014 को चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर वसीयत व हीराराम के वारिसों द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने के आदेश कर दिये गए। इसके बावजूद रेस्पों0 सं0 1 ता 3 ने दिनांक 10.10.2024 को प्रश्नगत भूमि पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण ग्राम पंचायत गुल्लूवाली तहसील खाजूवाला में स्वीकृत करवा लिया गया जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। हीराराम की अंतिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 30.05.2005 को नोटेरी से तस्दीक करवाया है और यह वसीयत हीराराम की अंतिम इच्छा थी। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल प्रविष्टि 205 दिनांक 24.12.2024 को निरस्त फरमाया जाकर चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की तादादी 4.3498 हैक्टर कृषि भूमि हीराराम के नाम से दर्ज करने के आदेश करे बाद वसीयत प्रकरण सं0 19/2006 निर्णय इंतकाल अपीलांट के नाम से वसीयत के आधार पर किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि माननीय न्यायाधीश जिला न्यायाधीश बीकानेर ने अनवानी प्रकरण मृतक ओमप्रकाश वगैरह बनाम सर्वसाधारण वगैरह में दिनांक 28.05.2025 को अंतिम निर्णय में अपीलांट निखिल स्वामी को हीराराम की वसीयत के अनुसार सम्पति का एकमात्र मालिक व काबिज नहीं माना है एवं निर्णय निखिल स्वामी के विरूद्ध किया है। साथ ही वसीयत खातेदारी भूमि होने पर ही की जा सकती है जबकि प्रश्नगत भूमि वसीयत के समय गैरखातेदार थी इसलिए वसीयत शून्य है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा वसीयत प्रकरण सं0 19/2006 में दिनांक 18.09.2014 को

चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर वसीयत व हीराराम के वारिसों द्वारा विरासत नामान्तरणकरण पर न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीकानेर के निर्णय तक स्थगित रखने के आदेश थे और माननीय न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही हितबद्ध/संबंधित पक्षकार को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकतरफा फैसला किया गया है जो न्यायालय आदेश की अवहेलना दर्शाता है। पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई व सबूत हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर चक 24 केजेडी मु0नं0 224/12 के किला नं0 1 ता 14, 17 ता 20 की कुल 4.3498 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि का अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरण सं0 205 दिनांक 24.12.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स को सुनवाई व सबूत का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)